संख्या-32/2026/422/12-5099/55/2022

प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 11 मई, 2026**

विषयः- बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती योजना का वित्तीय वर्ष 2026-2027 में क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना की प्राशासनिक स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०/बाढ़ो०यो०/13/का०यो०/बुन्देलखण्ड प्राकृ०खे०/2026-27, दिनांक 17 अप्रैल, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती योजना का वित्तीय वर्ष 2026-2027 में क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

1. उत्तर प्रदेश में वर्गीकृत 09 एग्रोक्लामेटिक जोन का बुन्देलखण्ड एग्रोक्लामेटिक जोन के समस्त 07 जनपद ''रेनफेड'' एरिया के अन्तर्गत आते है। रेनफेड कृषि के कारण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी रसायनों का प्रयोग तुलनात्मक रुप से कम है, किन्तु उपज का अच्छा मूल्य कृषकों को नहीं मिल पाता है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों की संस्तुति तथा प्रदेश की नीति ''गौ आधारित प्राकृतिक- खेती तन्त्र'' को बुन्देलखण्ड एग्रोक्लामेटिक जोन में सघन रुप से लागू किया जाए, जिसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2022-23 से शासनसदेश सं०-63/2022/2155973/435/12-5-2020-सा0-11/2022 दिनांक 22 जुलाई, 2022 द्वारा किया जा रहा है। इस विधा को अपनाने से प्राकृतिक खेती के उपज जो रसायन मुक्त होगा का बेहतर मूल्य बुन्देलखण्ड के कृषकों को मिलेगा। प्राकृतिक खेती आज की मॉग है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती कृषकों को कृषि उत्पादन लागत में आत्म निर्भर बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं रसायन-पेस्टीसाइड्स मुक्त खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराये जाने की योजना है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सात जनपद क्रमशः झाँसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बाँदा एवं चित्रकूट सम्मिलित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 69000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र का अधिकतर भू-भाग पहाड़ी, पठारी तथा रेनफेड होने के कारण कृषि योग्य क्षेत्रफल तुलनात्मक रुप से औसतन कम है। अतः सीमित प्राकृतिक संशाधनों के दृष्टिगत गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषकों के आर्थिक स्थिति को नया स्वरुप प्रदान कराना है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती के माध्यम से जहाँ एक ओर कृषकों के कृषि लागत में कमी आयेगी वही दूसरी ओर मृदा एवं जल संरक्षण के माध्यम से सस्टेनेवल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. योजना का विवरण -

बुंदेलखण्ड गौ-आधारित प्राकृतिक खेती योजना 2022-23 से दो चरणों में क्रियान्वित है। प्रथम चरण 2022-23 एवं द्वितीय चरण 2023-24 में क्रियान्वित है। वर्ष 2025-26 में योजना के प्रथम चरण में संचालित 235 क्लस्टर की योजना पूर्ण हो चुकी है।

वर्ष 2026-27 में योजना के द्वितीय चरण का अंतिम वर्ष क्रियान्वित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत 235 क्लस्टर क्रियान्वित होंगे।

3. योजना का उद्देश्य -

- पर्यावरण संतुलन को कायम रखते हुए कम लागत वाली कृषि तकनीकी अपनाकर खेती करना।
- रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन।
- कृषि को लाभकारी बनाना एवं कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार कर खेती को सम्मानजनक बनाना।
- गौ आधरित प्राकृतिक खेती अपनाकर कृषि उत्पादन को टिकाऊ रखना।
- मृदा उर्वरता में सुधार करना।

4. लाभार्थी चयन -

वित्तीय वर्ष 2026-27 में बुंदेलखण्ड गौ-आधारित प्राकृतिक खेती योजना में चयनित लाभार्थियो को किसान पहचान पत्र एवं फार्मर रजिस्ट्री में जारी शासनादेश सं०-25/2026/51/2026/12-5099/54/2025/1932759 दिनांक 08 अप्रैल, 2026 द्वारा किसान पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

क्र०सं०	जनपद का नाम	पुरुष किसानों की सं0	महिला किसानों की सं0	कुल किसानों की सं0
1	झांसी	1834	156	1990
2	जालौन	2049	201	2250
3	ललितपुर	1345	155	1500
4	बांदा	1767	233	2000
5	हमीरपुर	1482	268	1750
6	चित्रकूट	1042	208	1250
7	महोबा	895	105	1000
	कुल	**10414**	**1326**	**11740**

5. योजना का कार्यक्षेत्र -

बुंदेलखण्ड गौ-आधारित प्राकृतिक खेती योजना अन्तर्गत बुन्देलखण्ड कें समस्त 07 जनपदों के 47 विकासखण्डों में 235 क्लस्टर हेतु 11750 हे० क्षेत्रफल है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विकासखण्ड की सं0	क्लस्टर की सं0	क्षेत्रफल (हे0) में
1	झांसी	8	40	2000
2	जालौन	9	45	2250
3	ललितपुर	6	30	1500
4	हमीरपुर	7	35	1750
5	बांदा	8	40	2000
6	चित्रकूट	5	25	1250
7	महोबा	4	20	1000
	कुल	**47**	**235**	**11750**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. योजनान्तर्गत कार्य –

क्र0 सं0	मानक मद - 42	इकाई	अनुमन्य धनराशि (रू0 में)
1	फार्मर फील्ड स्कूल संचालित क्लस्टर के कृषकों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार	हेक्टेयर	0
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रू0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रू0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे0 हेतु	प्रति माह	5000
3	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण		
3.1	पी0जी0एस0 एवं रिजनल काउंसिल को सर्विस चार्जेज रु0 700.00 प्रति हेक्टेयर चतुर्थ वर्ष हेतु)	हेक्टेयर	700
3.2	रेजड्यू एनालिसिस / 3 नमूना/100 हेक्टेयर क्षेत्रफल/वर्ष, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए (रू0 10000.00 प्रति नमूना)	हेक्टेयर	10000
4	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैक्रिग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रू0 2000 प्रति हे0		
4.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट चतुर्थ वर्ष में रू0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400
4.2	ICAR एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट (रू0 100 प्रति हे0 चतुर्थ वर्ष हेतु)	हेक्टेयर	100
4.3	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण / Rs 190/प्रति मृदा नमूना/प्रति कृषक (प्रति क्लस्टर 50 कृषक अनुमानितं)	संख्या	190

मानक मद - 27				
क्र०सं०	कार्यमद का विवरण	इकाई	अनुमन्य धनराशि (रू0/हे0)	भौतिक लक्ष्य
1	देशी बीज प्रबन्धन/ रू0 1200.00/हेक्टेयर	हे0	1200	11750
2	हरी खाद (ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन/ रू0 1200.00	हे0	1200	11750

7. कार्ययोजना वर्ष 2026-27 **में क्रियान्वयन हेतु विवरण** -

1. **फार्मर्स फील्ड स्कूल** - प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दृष्टिगत फार्मर्स फील्ड स्कूल का आयोजन निशुल्क किया जाना है जैसा के सर्वविदित है कि प्राकृतिक खेती नॉलेज इंटेंसिव कृषि की विधा है, जिसे कृषकों के मध्य लोकप्रिय बनाने हेतु फार्मर्स फील्ड स्कूल के आयोजन की आवश्यकता होती है। अतः इससे कृषकों को सर्वप्रथम Learning by doing के माध्यम से प्राकृतिक खेती विधा को अपनाने हेतु प्रेरित किया जाये।
2. **चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिर्सोस पर्सन** - योजना का आरम्भ वित्तीय वर्ष 2022-23 से किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में वर्ष 2022-23 में 235 क्लस्टर का गठन किया गया है तथा द्वितीय चरण में वर्ष 2023-24 में 235 क्लस्टर गठित किये गये हैं। इस प्रकार वर्ष 2026-27 में कुल 235 क्लस्टर में योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। गठित 235 कलस्टर में चयनित चैम्पियन फार्मर (235) एवं कम्युनिटी रिसोर्स परसन (235) द्वारा गौ-आधारित प्राकृतिक खेती विधा को क्लस्टर के कृषकों द्वारा भली-भांति क्रियान्वित कराने हेतु अभिप्रेरित किया जायेगा।
3. **क्लस्टर में चैम्पियन फार्मर (CF) और कम्यूनिटी रिसोर्स परसन (CRP) के कार्य एवं दायित्व** –

   चैम्पियन फार्मर (CF)

   - क्लस्टर के सदस्यों पर सतत निगरानी रखना।
   - क्लस्टर स्तर पर योजना से जुड़े कृषकों को सहयोग करना तथा कृषि विभाग के अधिकृत कर्मचारी /अधिकारी को साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन देना।
   - पी०जी०एस० सर्टीफिकेशन की कार्यवाही में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था आलमबाग लखनऊ को पूर्ण सहयोग प्रदान करना। क्राप कटिंग डाटा उपलब्ध करने मे एवं पियर अपरेजल मे प्रतिभाग करना।
   - क्लस्टर स्तर पर तैयार प्रमाणित उत्पाद को एफ०पी०ओ० के साथ मिलकर विपणन करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- प्राकृतिक उपज के बाजार के लिए निकटस्थ एफ०पी०ओ० से सम्पर्क कर उचित मूल्य दिलाना साथ ही जैविक आउटलेट / जैविक बाजार जैसे केन्द्रों से क्लस्टर के कृषकों को जोड़ना।
- बाजार से सम्बन्धित क्लस्टर की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट कृषि विभाग के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को नियमित रूप से देना।
- चैम्पियन फार्मर (CF) को धनराशि रु० 3000 प्रति माह मानदेय के रूप मे दिया जाएगा।

कम्युनिटी रिसोर्स परसन (CRP)

- चैम्पियन फार्मर (CF) के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पूर्ण संयोग प्रदान करेंगे।
- कृषि विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों तथा क्लस्टर के कृषकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगे एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी सभी किसानों को देना।
- प्राकृतिक उपज के बाजार के लिए निकटस्थ एफ०पी०ओ० से सम्पर्क कर उचित मूल्य दिलाना साथ ही जैविक आउटलेट/जैविक बाजार जैसे केन्द्रों से क्लस्टर के कृषकों को जोड़ना।
- बाजार से सम्बन्धित क्लस्टर की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट कृषि विभाग के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को नियमित रूप से देना।
- कम्युनिटी रिसोर्स परसन (CRP) को धनराशि रु० 2000 प्रति माह मानदेय के रूप मे देय है।

4. **योजना के अन्तर्गत कृषकों को देय अनुदान –** योजना से जुड़े किसान पहचान पत्र वाले कृषकों को देशी बीज हेतु धनराशि रू० **1200** प्रति हे० तथा हरी खाद हेतु धनराशि रू० **1200** डी०बी०टी० के माध्यम से देय होगी। कृषकों को वर्ष **2026-27** में धनराशि रू० **2400** प्रति हेक्टेयर डी०बी०टी० के माध्यम से देय होगी।
   - **देशी बीज** - क्लस्टर में कृषक मुख्य फसल लेते समय देशी बीज प्रबंधन में अपने घर का देशी बीज का उपयोग करेगा, इसके पश्चात इंडेंट बिल बनाकर संबंधित के समक्ष भुगतान हेतु उपलब्ध कराएगा। देशी बीज प्रबंधन के लिए डी०बी०टी० के माध्यम से धनराशि रुपये **1200** प्रति हे० का भुगतान किया जाएगा।

     देशी बीज को बीजामृत से उपचारित करे उसके बाद छाया में हल्का सूखने के उपरांत बुवाई करें।
   - **हरी खाद (ग्रीन मैन्यूरिंग)** - क्लस्टर में कृषक हरी खाद हेतु ढैचा, मूंग, उरद इत्यादि की फसल की बुवाई की जाएगी। जिसके लिए बीज की उपलब्धता राजकीय बीज भंडार या घर के बीज के माध्यम से की जाएगी। जिसके लिए कृषक को डी०बी०टी० के माध्यम से धनराशि रुपये **1200** प्रति हे० पर भुगतान किया जाएगा।

     हरी खाद में वानस्पतिक सामग्री के अधिकांश भाग को हरे रुप में ही मिट्टी में जोतकर मिला देते है।

क्र०सं०	कार्यमद का विवरण	इकाई	अनुमन्य धनराशि (रू0/हे0)	भौतिक लक्ष्य
1	देशी बीज प्रबन्धन/ रू0 1200.00/हेक्टेयर	हे0	1200	11750
2	हरी खाद (ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन/ रू0 1200.00	हे0	1200	11750

5. **क्षेत्रीय परिषद की भूमिका एवं दायित्व** –
   - स्थानीय भाषा मांग करने पर स्थानीय समूह (क्लस्टर) एवं कृषकों को मानकों, परिचालन दस्तावेजों तथा साहित्य आदि की सूचना प्रदान करें।
   - पी०जी०एस० वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने में स्थानीय समूहों का क्षमता निर्माण। यदि स्थानीय समूहों के पास कम्प्यूटर और इंटरनेट की सुविधा न हो या वे अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं, तो क्षेत्रीय परिषद डेटा अपलोड करने में मदद करें, लेकिन ऐसी सेवाओं पर स्थानीय समूह (क्लस्टर) और क्षेत्रीय परिषद (आर०सी०) के बीच सहमति से होनी चाहिए।
   - प्रक्रियाओं एवं प्रलेखन में मौजूदा और नये स्थानीय समूहों (क्लस्टर) को प्रशिक्षण तथा जिज्ञासाओं का समाधान करना।
   - स्थानीय समूह (क्लस्टर) के आवेदनों की स्क्रीनिंग व जांच करना तथा अपलोड करना।
   - स्थानीय समूह (क्लस्टर) का अनुमोदन किया जायेगा।
   - स्थानीय समूह द्वारा पी०जी०एस० इण्डिया कार्यक्रम के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समूहों (क्लस्टर) के कामकाज पर ऑनलाइन निगरानी करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- पंजीकृत स्थानीय समूहों (क्लस्टर) का अगले एक वर्ष के भीतर प्रत्यक्ष/मूल्यांकन। प्रत्येक समूह (क्लस्टर) का बाद का दो वर्षों में कम से कम एक प्रत्यक्ष निरीक्षण/मूल्याकन किया जायेग। और प्रत्येक वर्ष कम से कम 51 प्रतिशत स्थानीय समूहो का मूल्यांकन किया जायेगा।
- पी०जी०एस० वेबसाइट पर ऑपरेटरों द्वारा अपलोड किये गये सहकर्मियों का मूल्यांकन, स्थानीय समूह (क्लस्टर) का सारांश सीट/निरीक्षण रिपोर्ट के साराश का मूल्यांकन, आवश्यक अनुमोदन प्रदान करना, और यदि आवश्यक हो तो मूल्यांकन और निरीक्षण के आधार पर पी०जी०एस० इण्डिया पोर्टल से स्कोप प्रमाण-पत्र जारी करना।
- अलग-अलग उत्पादों (जो किसी भी पी०जी०एस० इण्डिया समूह से जुड़े नहीं है) और स्टैंड अलोन - प्रोसेसिंग और हैंडलिंग इकाइयों के मामले में, क्षेत्रीय परिषद वार्षिक निरीक्षण / पर्यवेक्षण करेगी तथा कोई गैर-अनुपालन का मामला लंबित न हो तो प्रत्यक्ष निरीक्षण के बाद ही स्कोप सर्टिफिकेट जारी करेगी।

6. प्रमाणीकरण - प्राकृतिक खेती विधा के प्रमाणीकरण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था आलमबाग, लखनऊ द्वारा पी०जी०एस० प्रमाणीकरण सिस्टम के अनुसार योजना अन्तर्गत प्रमाणीकरण का कार्य किया जायेगा। जिस हेतु धनराशि रुपये 700 प्रति हे० तथा कुल धनराशि रुपये 35000 प्रति क्लस्टर पर भुगतान किया जाएगा।

7. रैंजड्यू एनालिसिस - फसल से प्राप्त अनाज की जांच (Grain Testing/Residue Analysis) का मतलब है कि खेत से मिलने वाले अनाज की गुणवत्ता शुद्धता और सुरक्षा की जांच करना। प्राकृतिक खेती करने पर अनाज की जांच इसलिए की जाती है कि अनाज में कोई रासायनिक अवशेष (कीटनाशक/दवा) तो नहीं है। अनाज खाने के लिए सुरक्षित है या नहीं, अनाज की गुणवत्ता और पोषण सही है या नहीं, बाजार में बेचने के लिए मानक (Quality Standard) पूरे होते हैं या नहीं।

अनाज में क्या-क्या जाच होती है :-

- नमी (Moisture) अनाज में पानी की मात्रा कितनी है।
- कीटनाशक अवशेष (Pesticide Residue) दवाइयों के बचे हुए अश।
- शुद्धता (Purity) - अनाज में मिट्टी, कंकड़ या खराब दाने तो नहीं।
- पोषक तत्व (Nutrients) प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि की मात्रा।
- फफूदी या विष (Mycotoxin) अनाज में फंगस या जहरीले तत्व तो नहीं।

अनाज की जांच से यह सुनिश्चित किया जाता है कि फसल सुरक्षित शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता की है. ताकि किसान को अच्छी कीमत मिले और लोगों को स्वस्थ भोजन मिले। रेजड्यू एनालिसिस मे 3 नमूना प्रति 100 हे० क्षेत्रफल पर लिए जायेगे जिस हेतु धनराशि रुपये 10000 प्रति नमूना भुगतान उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था आलमबाग, लखनऊ को किया जाएगा।

8. प्रचार-प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलेपमेन्ट - प्रचार-प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलेपमेन्ट के अन्तर्गत "लोगो- "ब्राण्ड" को विकसित कर प्राकृतिक उत्पाद के मार्केटिंग हेतु ब्राण्ड का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। अतएव जनपद स्तर के विशिष्ट प्राकृतिक उत्पादों का विकसित ब्राण्ड के माध्यम से मार्केटिंग कराया जाए। जिस हेतु धनराशि रुपये 400 प्रति हे० का भुगतान किया जाएगा।

प्राकृतिक उत्पाद का विपणन प्रमाणीकरण के मानक के अनुसार किया जायेगा, जिसमें एफपीओ/एफपीसी का अपेक्षित सहयोग होगा। बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में कियान्वित प्राकृतिक खेती पद्धति के क्लस्टरों को उनके निकटस्थ विकासखण्ड में स्थित एफपीओ/एफपीसी से जोड़कर विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा।

9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान अथवा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा तथा रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय झांसी के शोध निदेशालय से सम्पर्क कर क्लस्टर से सम्बन्धित शोध का कार्य करने का अनुरोध किया जाए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान अथवा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा तथा रानी लक्षमीबाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झांसी के शोध निदेशालय, से सपर्क कर क्लस्टर से सम्बन्धित शोध से प्राकृतिक खेती हेतु, एस०ओ०पी० जारी करने की व्यवस्था किया जाय। क्लस्टर के आकड़ो यथा मृदा परीक्षण का परिणाम, उत्पाद की मात्रा तथा जैविक मिश्रण (घनजीवामृत, जीवामृत आदि) का अपेक्षित परिणाम से सम्बन्धित शोध एवं विश्लेषण के कार्य हेतु आवंटित धनराशि कृषि विश्वविद्यालय को स्थान्तरित कर योजना के इस कार्यमद की धनराशि का उपभोग सुनिश्चित किया जाए। जिस हेतु धनराशि रुपये 100 प्रति हे० का भुगतान किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. मृदा परीक्षण - योजना अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूना प्रति हे० लिया जावेगा है, कुल 235 क्लस्टर में 11750 हे० पर मृदा नमूना लिए जायेंगे। जो प्रयोगशालाओ को प्रेषित करे तथा मृदा परीक्षण का परिणाम प्रयोगशालाओ से प्राप्त कर डेशबोर्ड पर फीड करना सुनिश्चित करे। जिस हेतु धनराशि रुपये 190 प्रति नमूना का भुगतान किया जाएगा।

- योजना के आउटकम के आकलन हेतु मृदा में जीवाश कार्बन की स्थिति एक महत्वपूर्ण इंडीकेटर है, जिसके लिये प्रत्येक कृषक के प्रक्षेत्र का वर्षवार/सीजनवार मृदा नमूना परीक्षण की आवश्यकता है।
- वर्ष 2026-27 में भी समस्त कृषकों के मृदा नमूना एकत्रीकरण का कार्य प्रत्येक दशा में माह मई, 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
- संयुक्त कृषि निदेशक (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण) कार्यालय से सचालित Soil Health and Fertility योजना से कन्वर्जन किया जायेगा।
- प्रथम एवं अंतिम मृदा परीक्षण 12 पैरामीटर (मैको एवं माइको न्यूट्रियेन्ट) एवं योजना के मध्य में 6 पैरामीटर (मैको न्यूट्रियेन्ट) पर मृदा परीक्षण किया जायेगा।

8. जिला मिशन समिति (District Mission Committee) **-**

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4	अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई	सदस्य
5	जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य
6	सहायक निदेशक, मत्स्य	सदस्य
7	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
8	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
9	जिला प्रबन्धक (लीड बैंक)	सदस्य
10	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
11	सम्बन्धित मण्डल के सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण	सदस्य
12	नामांकित प्रगतिशील कृषक	सदस्य
13	सम्बन्धित मण्डल के उप कृषि निदेशक भूमि सरक्षण (कृषि विभाग)	सदस्य
14	भूमि सरक्षण अधिकारी (कृषि विभाग)	सदस्य सहसचिव
15	उप कृषि निदेशक	सदस्य सचिव

9. बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में द्वितीय चरण(वर्ष 2026-27) में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती की कार्ययोजना का वार्षिक एक्शन प्लान(संलग्नक-1) एवं वित्तीय विवरण (11750 हे0 क्षेत्रफल) निम्नवत है :-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र0सं0	**जनपद का नाम**	**कृषि योग्य क्षेत्रफल हे0 में**	**विकास खण्ड की संख्या**	**क्षेत्रफल हे0 में**	**क्लस्टर की सं0**	**वित्तीय लक्ष्य**	**अभ्युक्ति**
1	2	3	4	5	6	8	9
1	झांसी	311834	8	2000	40	**105.80**	
2	जालौन	344623	9	2250	45	**119.03**	
3	ललितपुर	296477	6	1500	30	**79.35**	
4	चित्रकूट	173802	5	1250	25	**66.13**	
5	बांदा	349259	8	2000	40	**105.80**	
6	हमीरपुर	299103	7	1750	35	**92.58**	
7	महोबा	236239	4	1000	20	**52.90**	
	योग-	**2011337**	**47**	11750	235	**621.58**	
					परियोजना प्रबन्धन एवं प्रशासकीय व्यय 2% HQ	**15.58**	
					महायोग-	**637.16**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. योजना कियान्वयन एवं अन्य विभागों से समन्वय -

- बुन्देलखण्ड में प्राकृतिक खेती योजना का कियान्वयन जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा। कार्यों के निष्पादन हेतु उप कृषि निदेशक द्वारा योजना का नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।
- मण्डल स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक उत्तरदायी होंगे।
- राज्य स्तर पर कार्यक्रम का संचालन कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के मार्ग दर्शन में योजना के नोडल अधिकारी द्वारा अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) के पर्यवेक्षण में किया जायेगा, जो योजना के निर्देशानुसार कार्यक्रमों का कियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

11. योजना के अन्तर्गत कार्य सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया -

- समस्त भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए **RTGS/NEFT** के माध्यम से किया जायेगा। कृषकों को दी जाने वाली सहायता **DBT (Direct Benefit Transfer)** के अन्तर्गत हस्तांतरित की जायेगी।
- योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का **100%** सत्यापन क्लस्टर के नोडल अधिकारी, **20%** सत्यापन उप कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा। मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा अधीनस्थ प्रत्येक जनपद **5%** कार्यों का सत्यापन किया जायेगा।

12. योजना की समीक्षा -

- योजना का विवरण आनलाइन / विभागीय वेबसाइट पर रखा जायेगा।
- क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर के नोडल अधिकारी द्वारा प्रगति रिपोर्ट जनपद के उप कृषि निदेशक को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जायेगी। **(संलग्नक-2)**
- जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक नोडल अधिकारी होंगे जो जनपद की संकलित सूचना मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक एवं योजना के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (संयुक्त कृषि निदेशक, बा़द्यो०यो०) को प्रत्येक माह की **5** तारीख को उपलब्ध करायेंगे। **(संलग्नक-3)**
- राज्य स्तर से सूचनाओं को संकलित कराकर कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा शासन को प्रेषित की जायेगी।

13. प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश –

- योजना के भौतिक-वित्तीय लक्ष्यों का अनुमोदन जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
- फार्मरस फील्ड स्कूल का आयोजन प्रचार-प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलेपमेन्ट हेतु खरीफ 2026 / रबी 2026-27 में निःशुल्क किया जायेगा।
- योजना अन्तर्गत रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा मूल्याकन का कार्य किया जायेगा।
- प्रत्येक क्लस्टर में एक कार्यवाही रजिस्टर होना अनिवार्य है, जिसमें क्लस्टर में की जा रही गतिविधयों एवं क्रियाकलापों, फसलों एवं उत्पादों के साथ कृषकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दर्ज की जायेगी।

14. योजना में क्रियान्वयन हेतु समय सारणी - बुंदेलखण्ड गौ-आधारित प्राकृतिक खेती योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में क्लस्टरवार क्रियाकलापों के क्रियान्वयन की टाइमलाइन :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र० सं०	माह का नाम	किए जाने वाले भौतिक कार्य	क्रामिक वित्तीय लक्ष्य माहवार प्रतिशत
1	**अप्रैल**	• हरी खाद (ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन (ढैचा/सनई/दलहनी फसलों से तैयार हरी खाद माह अप्रैल से जून तक) 40 प्रतिशत,	-
		• 25% ICAR एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट	
2	**मई**	• 25% ICAR एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट	05**प्रतिशत**
		• 25% मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण	
		• हरी खाद (ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन (ढैचा/सनई/दलहनी फसलों से तैयार हरी खाद माह अप्रैल से जून तक) 60%	
		• चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन को देय प्रोत्साहन	
3	**जून**	• देशी बीज प्रबन्धन	10**प्रतिशत**
		• 25% ICAR एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट	
		• 50% मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण	
		• चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन को देय प्रोत्साहन	
4	**जुलाई**	• देशी बीज प्रबन्धन	25**प्रतिशत**
		• 25% मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण	
		• चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन को देय प्रोत्साहन	
5	**अगस्त**	• देशी बीज प्रबन्धन	30 **प्रतिशत**
		• चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन को देय प्रोत्साहन	
6	**सितम्बर**	• प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट 25%	45 **प्रतिशत**
		• खरीफ की फसल हेतु सर्विस प्रोवाइडर द्वारा क्लस्टर का पीयर अप्रेजल कराना एवं प्रमीणीकरण हेतु पी0जी0एस0 पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाना।	
		• चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन को देय प्रोत्साहन	
7	**अक्टूबर**	• देशी बीज प्रबन्धन	60 **प्रतिशत**
		• खरीफ की फसल हेतु रीजनल काउंसिल द्वारा क्लस्टर का भौतिक सत्यापन करना एवं स्कोप प्रमाण पत्र जनरेट करना	
		• रेजड्यू एनालिसिस 50%	
		• चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन को देय प्रोत्साहन	
8	**नवम्बर**	• खरीफ की फसल हेतु रीजनल काउंसिल द्वारा क्लस्टर का भौतिक सत्यापन करना एवं स्कोप प्रमाण पत्र जनरेट करना	65 **प्रतिशत**
		• खरीफ की फसल का रीजनल काउंसिल द्वारा कृषकों को स्कोप प्रमाण पत्र वितरित किया जाना	
		• 25% ICAR एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट	
		• चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन को देय प्रोत्साहन	
9	**दिसम्बर**	• 25% IXAP एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट	75 **प्रतिशत**
		• प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट 25%	
		• रबी की फसल हेतु सर्विस प्रोवाइडर द्वारा क्लस्टर का पीयर अप्रेजल कराना एवं प्रमीणीकरण हेतु पी0जी0एस0 पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाना।	
		• चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन को देय प्रोत्साहन	
10	**जनवरी**	• प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट 25%	85 **प्रतिशत**
		• रबी की फसल हेतु सर्विस प्रोवाइडर द्वारा क्लस्टर का पीयर अप्रेजल कराना एवं प्रमाणीकरण हेतु पी०जी०एस० पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाना।	
		• चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन को देय प्रोत्साहन	
11	**फरवरी**	• प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट 25%	95 **प्रतिशत**
		• रबी की फसल हेतु रीजनल काउंसिल द्वारा क्लस्टर का भौतिक सत्यापन करना	
		• चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन को देय प्रोत्साहन	
12	**मार्च**	• रेजड्यू एनालिसिस 50%	100 **प्रतिशत**
		• रबी की फसल हेतु रीजनल काउंसिल द्वारा क्लस्टर का भौतिक सत्यापन करना एवं स्कोप प्रमाण पत्र जनरेट करना	
		• चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन को देय प्रोत्साहन	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- बुन्देलखण्ड गौ-आधारित प्राकृतिक खेती योजनान्तर्गत द्वितीय चरण में प्रारम्भ हुई 235 क्लस्टर के योजना का यह अन्तिम वर्ष है। इस वर्ष नये लाभार्थी कृषकों का चयन नहीं होना है। पूर्व से चयनित 235 क्लस्टर में से कुछ कृषक जिनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई होगी उन पर फार्मर रजिस्ट्री लागू करने से वे योजना से बाहर हो जायेंगे। फलतः या तो इस प्रकार के यदि कृषक क्लस्टर के भीतर मिलते हैं तो उनकी फार्मर रजिस्ट्री करा दी जाय या तो उन्हें फार्मर रजिस्ट्री से छूट देने की व्यवस्था हेतु सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर, सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 की कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- जिलाधिकारी, चित्रकूट, झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर एवं बांदा, उत्तर प्रदेश।
6- मण्डलायुक्त, चित्रकूट (बांदा) एवं झांसी, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
8- संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो०यो०), कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
9- मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक / उप कृषि निदेशक, जनपद चित्रकूट एवं झांसी, उत्तर प्रदेश।
10- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में प्राकृतिक खेती का वार्षिक एक्शन प्लान का प्रस्ताव

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम0 सं0	कार्यमद	मौलिक इकाई	लागत प्रति इकाई	झांसी		जालौन		ललितपुर		चित्रकूट	
				40		45		30		26	
				लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य	
				मौलिक	वित्तीय	मौलिक	वित्तीय	मौलिक	वित्तीय	मौलिक	वित्तीय
1	फार्मर फील्ड स्कूल (FFS) का निःशुल्क कार्यक्रम	हेक्टेयर	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	क्लस्टर स्तरीय बैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रू0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रू0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे0 हेतु रू0 0. 60 लाख प्रतिवर्ष (चार वर्ष के लिये कुल रू0 2.40 लाख प्रति 50 हे0)	प्रति माह	5000	2000	24.00	2250	27.00	1500	18.00	1250	15.00
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीएम द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे0 प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (8 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रू0 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	600	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रू0 15000 प्रति हे0 50 हेक्टेयर हेतु कुल रू0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु										
5.1	देशी बीज प्रबन्धन/रे0800*00/हेक्टेयर /तीन वर्ष (रू0 1200. 00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	2000	24.00	2250	27.00	1500	18.00	1250	15.00
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छन्ना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)/Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन /Rs 3600.00/हेक्टेयर/तीन वर्ष (रू0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	2000	24.00	2250	27.00	1500	18.00	1250	15.00
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन/Rs 1000.00/हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में)	हेक्टेयर	800	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रू0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रू0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्ष हेतु										
6.1	कृषकों के विवरण का अभिलेखीकरण एवं डाटा प्रबन्धन कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु रू0 300 प्रति हे0)	हेक्टेयर	300	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6.2	पी0जी0एस0 एवं रिजनल काउंसिल को सर्विस चार्जेज /Rs 700 प्रति हेक्टेयर चार वर्षों के लिए (रू0 700 प्रति हे0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एवं रू0 700.00 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तृतीय एवं चतुर्थ वर्षों हेतु वर्षों हेतु)	हेक्टेयर	700	2000	14.00	2250	15.75	1500	10.50	1250	8.75
6.3	रेजड्यू एनालिसिस / 3 नमूना/100 हेक्टेयर क्षेत्रफल/वर्ष, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए (रू0 10000.00 प्रति नमूना)	हेक्टेयर	10000	2000	6.00	2250	6.75	1500	4.50	1250	3.75
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR , SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रू0 2000 प्रति हे0										
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रू0 467 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रू0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	2000	8.00	2250	9.00	1500	6.00	1250	5.00
7.2	ICAR एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट (रू0 100 प्रति हे0 द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु)	हेक्टेयर	100	2000	2.00	2250	2.25	1500	1.50	1250	1.25
7.3	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण / Rs 190/प्रति मृदा नमूना/प्रति कृषक/प्रति वर्ष तीन वर्षों हेतु (प्रति क्लस्टर 50 कृषक अनुमानित) (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष)	संख्या	190	2000	3.80	2250	4.28	1500	2.85	1250	2.38
	योग-				105.80		119.03		79.35		66.13
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	जनपद			2.65		2.99		1.99		1.66
	महायोग				108.45		122.01		81.34		67.78

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में प्राकृतिक खेती का वार्षिक एक्शन प्लान का प्रस्ताव (धनराशि लाख रू0 में)

क्रम0 सं0	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	बांदा		हमीरपुर		महोबा		कुल	
				40		35		20		235	
				लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य		लक्ष्य	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	फार्मर फील्ड स्कूल (FFS) का निःशुल्क कार्यक्रम	हेक्टेयर	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
2	क्लस्टर स्तरीय बीम्यिन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रू0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रू0 2000 प्रति माह) की दर से 50 है0 हेतु रू0 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार वर्ष के लिये कुल रू0 2.40 लाख प्रति 50 है0)	प्रति माह	5000	2000	24.00	1750	21.00	1000	12.00	11750	141.00
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा–बीटीएम द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 है0 प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (5 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रू0 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	600	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रू0 15000 प्रति है0 50 हेक्टेयर हेतु कुल रू0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु										
5.1	देशी बीज प्रबन्धन/Rs 3600रू00/हेक्टेयर /तीन वर्ष (रू0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	2000	24.00	1750	21.00	1000	12.00	11750	141.00
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)/Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन /Rs 3600.00/हेक्टेयर/तीन वर्ष (रू0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	2000	24.00	1750	21.00	1000	12.00	11750	141.00
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कण्वर्जन/Rs 1000.00/हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में)	हेक्टेयर	800	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रू0 1000 प्रति है0 प्रतिवर्ष रू0 2.00 लाख प्रति 50 है0 4 वर्षों हेतु										
6.1	कृषकों के विवरण का अभिलेखीकरण एवं डाटा प्रबन्धन कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु रू0 300 प्रति है0)	हेक्टेयर	300	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6.2	पी0जी0एस0 एवं रिजनल काउंसिल को सर्विस चार्जेज /Rs 700 प्रति हेक्टेयर चार वर्षों के लिए (रू0 700 प्रति है0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एवं रू0 700.00 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तृतीय एवं चतुर्थ वर्षों हेतु वर्षों हेतु)	हेक्टेयर	700	2000	14.00	1750	12.25	1000	7.00	11750	82.25
6.3	रेजडयू एनालिसिस / 3 नमूना/100 हेक्टेयर क्षेत्रफल/वर्ष, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए (रू0 10000.00 प्रति नमूना)	हेक्टेयर	10000	2000	6.00	1750	5.25	1000	3.00	11750	35.25
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR , SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रू0 2000 प्रति है0										
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रू0 467 प्रति है0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रू0 400 प्रति है0	हेक्टेयर	400	2000	8.00	1750	7.00	1000	4.00	11750	47.00
7.2	ICAR एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट (रू0 100 प्रति है0 द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु)	हेक्टेयर	100	2000	2.00	1750	1.75	1000	1.00	11750	11.75
7.3	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण / Rs 190/ प्रति मृदा नमूना/प्रति कृषक/प्रति वर्ष तीन वर्षों हेतु (प्रति क्लस्टर 50 कृषक अनुमानित) (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष)	संख्या	190	2000	3.80	1750	3.33	1000	1.90	11750	22.33
	योग–				105.80		92.58		52.90		621.58
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	जनपद			2.65		2.32		1.33		15.58
	महायोग				108.45		94.90		54.23		637.16

प्रगति प्रतिवेदन–

परिशिष्ट–2

बुन्देलखण्ड में प्राकृतिक खेती की योजना
कार्य मदवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट वर्ष– 2026–27

दिनांक-

जनपद का नाम-

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	कार्यमद	भौतिक		वित्तीय		अभ्युक्ति
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
1	फार्मर फील्ड स्कूल संचालित क्लस्टर के कृषकों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रचार–प्रसार मार्केटिंग हेतु					
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रू0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रू0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे0 हेतु रू0 0.60 लाख प्रतिवर्ष					
3	इनपुट इन्फास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता					
3.1	देशी बीज प्रबन्धन/1200.00/हेक्टेयर (रू0 1200.00/हेक्टेयर)					
3.2	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन /Rs 1200.00/हेक्टेयर					
4	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण					
4.1	पी0जी0एस0 एवं रिजनल काउंसिल को सर्विस चार्जेज रु0 700.00 प्रति हेक्टेयर चतुर्थ वर्ष हेतु)					
4.2	रेजड्यू एनालिसिस / 3 नमूना/100 हेक्टेयर क्षेत्रफल/वर्ष, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए (रु0 10000.00 प्रति नमूना)					
5	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रू0 2000 प्रति हे0					
5.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट चतुर्थ वर्ष में रू0 400.00 प्रति हे0					
5.2	ICAR एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट (रू0 100 प्रति हे0 चतुर्थ वर्ष हेतु)					
5.3	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण @ Rs 190/- प्रति मृदा नमूना/प्रति कृषक					
कुल योग –						
प्रशासनिक व्यय / परियोजना प्रबंधन लागत 2% -						
महायोग -						